न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 507/2024

अनवान : –

1. हरिश कुमार पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू। ।

– वादी

बनाम्

1. रूकमणी पत्नी गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।।
2. रामूर्ति पुत्री गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
3. अनुसुईया पुत्री गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
4. संजय पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266/236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58/46 के ख0न0 536/323 की कुल 1.4421 हैक्ट भूमि वादी के पिता गंगाधर पुत्र कुम्भराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के नाम दर्ज है। गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का देहांत हो चुका हे। गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के दो पत्नीयां परमेश्वरी व रूकमणी थी जिससे परमेश्वरी का स्वर्गवास हो चुका है तथा परमेश्वरी के दो संताने वादी व विनोद कुमार हुऐ जिसमें विनोद कुमार लावल्द (अविवाहित लाऔलाद) फौत हो चुका है तथा रूकमणी की तीन संताने रामूर्ति, अनसुईया व संजय है इसलिए मृतक गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के नाम दर्ज भूमि मे से वादी का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 4/6 हिस्सा है। प्रतिवादीगण उक्त समस्त भूमि पर काबिज होकर वाद भूमि को बैय करना चाहते है। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266/236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58/46 के ख0न0 536/323 की कुल 1.4421 हैक्ट भूमि में गंगाधर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र कुम्भाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/6 हिस्सा भूमि का वादी को व शेष 3/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादी स0 1 ता 4 क खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र परमेश्वरी व मृत्यु प्रमाण पत्र विनोद, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के नाम दर्ज है। गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का देहांत हो चुका हे। गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के दो पत्नीयां परमेश्वरी व रूकमणी थी जिससे परमेश्वरी का स्वर्गवास हो चुका है तथा परमेश्वरी के दो संताने वादी व विनोद कुमार हुऐ जिसमें विनोद कुमार लावल्द (अविवाहित लाऔलाद) फौत हो चुका है तथा रूकमणी की तीन संताने रामूर्ति, अनसुईया व संजय है इसलिए मृतक गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के नाम दर्ज भूमि मे से वादी का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 4/6 हिस्सा है। प्रतिवादीगण उक्त समस्त भूमि पर काबिज होकर वाद भूमि को बैय करना चाहते है। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266/236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 [illegible] मे से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58/46 के ख0न0 536/323 [illegible] में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/6 हिस्सा [illegible] वादी को व शेष 3/6 हिस्सा भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266/236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58/46 के ख0न0 536/323 की कुल 1.4421 हैक्ट भूमि वादी के पिता गंगाधर पुत्र कुम्भराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक गंगाधर के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के नाम दर्ज है। गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का देहांत हो ुचका हे। गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के दो पत्नीयां परमेश्वरी व रूकमणी थी जिससे परमेश्वरी का स्वर्गवास हो चुका है तथा परमेश्वरी के दो संताने वादी व विनोद कुमार हुऐ जिसमें विनोद कुमार लावल्द (अविवाहित लाऔलाद) फौत हो चुका है तथा रूकमणी की तीन संताने रामूर्ति, अनसुईया व संजय है इसलिए मृतक गंगाधर पुत्र कुम्भाराम के नाम दर्ज भूमि मे से वादी का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 4/6 हिस्सा है। प्रतिवादीगण उक्त समस्त भूमि पर काबिज होकर वाद भूमि को बैय करना चाहते है। इसलिए वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266/236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58/46 के ख0न0 536/323 की कुल 1.4421 हैक्ट भूमि भूमि में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/6 हिस्सा भूमि का वादी को व शेष 4/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों ए के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266/236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58/46 के ख0न0 536/323 की कुल 1.4421 हैक्ट भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2/6 हिस्सा भूमि का वादी को व शेष 4/6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 507 / 2024

अनवान : –

1. हरिश कुमार पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू। ।

– वादी

बनाम्

1. रूकमणी पत्नी गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।।
2. रामूर्ति पुत्री गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
3. अनुसुईया पुत्री गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
4. संजय पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 507 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 266 / 236 के ख0न0 323 की कुल 8.8803 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि व खाता स0 58 / 46 के ख0न0 536 / 323 की कुल 1.4421 हैक्ट भूमि भूमि में गंगाधर पुत्र कुम्भाराम का नाम कलमजन किया जाकर 2 / 6 हिस्सा भूमि का वादी को व शेष 4 / 6 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 18:03:02 IST
Reason: SelfAttested